छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

बीरगांव के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना एवं परिचालन

1. (*क्र. 988) **श्री नंदकुमार साहू :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीरगांव नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कितने उद्योगों द्वारा प्रदूषित धुंआ को रोकने के लिए निर्धारित संयंत्र स्थापित किया गया है ? (ख) कितने उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के बाद उपयोग नहीं किया जा रहा है ? (ग) वर्ष 2008-09 में दिनांक 30-01-09 तक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के प्रचलन संबंधी जांच कब-कब, किस अधिकारी द्वारा की गई ? नाम एवं जांच दिनांक बतायें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र के अंतर्गत वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के सभी 38 उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किये गये हैं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

शासकीय विभागों द्वारा हाथकरघा वस्त्रों की खरीदी किये जाने के निर्देश

2. (*क्र. 302) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी विभागों में वस्त्र एवं रेडीमेड गारमेंट की खरीदी छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के माध्यम से की जाए ? (ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग ने इन नियमों के तहत खरीदी की हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. (ख) जी हां, जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है.

नागरिक आपूर्ति निगम, सरगुजा द्वारा कस्टम मिलिंग (सी. एम. आर.) एवं लेव्ही के तहत जमा किये गये चावल की मात्रा

3. (*क्र. 951) **श्री रविशंकर त्रिपाठी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरगुजा जिले में नागरिक आपूर्ति, सरगुजा द्वारा माह सितम्बर, 2008 से 25 जनवरी, 2009 तक कस्टम मिलिंग (सी. एम. आर.) एवं लेव्ही के तहत कितना-कितना चावल जमा किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सरगुजा जिले में माह सितम्बर, 2008 से 25 जनवरी, 2009 तक कस्टम मिलिंग (सी. एम. आर.) अन्तर्गत 29887.13 मे. टन एवं लेव्ही अन्तर्गत 19301.79 मे. टन चावल जमा किया गया है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित डोलामाइट खदानों एवं क्रेशरों को विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति

4. (*क्र. 969) **श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित किन-किन डोलोमाइट खदानों एवं क्रेशरों के द्वारा पर्यावरण विभाग से वैध अनुमति प्राप्त की गई है ? (ख) क्रेशरों अथवा खदानों के संचालन हेतु पर्यावरण विभाग में अनुमति प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा क्या मापदंड निर्धारित हैं ? (ग) वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 के दौरान इन खदानों अथवा क्रेशरों के विरुद्ध कब-कब पर्यावरण विभाग द्वारा जांच की गई तथा कितने प्रकरण किन-किन नियमों के तहत दर्ज किए गए ?

† परिशिष्ट "एक" †† परिशिष्ट "दो"

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) (1) क्रेशर उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है. इस हेतु क्रेशर उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में समुचित प्रदूषण नियंत्रण के व्यवस्था के प्रस्ताव सहित सशुल्क आवेदन करना होता है. (2) खदान का लीज एरिया 05 हेक्टेयर से कम होने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है. इस हेतु क्रेशर उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में समुचित प्रदूषण नियंत्रण के व्यवस्था के प्रस्ताव सहित सशुल्क आवेदन करना होता है. खदान का लीज एरिया 05 हेक्टेयर अथवा 05 हेक्टेयर से अधिक एवं 50 हेक्टेयर से कम होने पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस. ई. आई. ए. ए., छत्तीसगढ़) से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त की जानी होती है. खदान का लीज एरिया 50 हेक्टेयर एवं 50 हेक्टेयर से अधिक होने पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त की जानी होती है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा 15 खदानों/क्रेशरों की जांच की गई तथा जांच में पाई गई स्थिति अनुसार वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई. विवरण † संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है.

कस्टम मिलिंग हेतु रायपुर जिले में मिलर्स द्वारा धान का उठाव

5. (*क्र. 963) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में माह नवम्बर-दिसम्बर, 2008 एवं जनवरी, 2009 में कस्टम मिलिंग हेतु किन-किन राईस मिलर्स ने कितनी-कितनी मात्रा का अनुबंध किया है ? अनुबंध के अनुरूप वेरायटीवार धान उठाव की स्थिति अलग-अलग क्या है ? (ख) उक्त मिलर्स द्वारा अनुबंध के अनुरूप अलग-अलग उक्त अवधि में कितना-कितना चांवल वेरायटीवार जमा किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है.

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

6. (*क्र. 826) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 जनवरी, 2001, 1 जनवरी, 2004 एवं 1 जनवरी, 2009 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवार थे ? पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में कितने परिवारों को अंत्योदय खाद्य योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत खाद्यान्नों का वितरण किया जाना था एवं कितने को प्रदान किया गया ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) 1 जनवरी, 2001 एवं 1 जनवरी, 2004 को वर्ष 1997 की गरीबी रेखा के परिवारों की सूची लागू थी, जिसमें 17,44,831 परिवार शामिल थे. 1 जनवरी, 2009 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वर्ष 2002 की तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये वर्ष 1997 की गरीबी रेखा के परिवारों की सूची लागू थी, जिसमें शामिल परिवारों की संख्या 23,54,588 है. (ख) 01 जनवरी, 2001 को अन्त्योदय अन्न योजना लागू नहीं थी. 01 जनवरी, 2004 तथा 01 जनवरी 2009 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों एवं खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. 01 जनवरी, 2001 तथा 01 जनवरी, 2004 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना लागू नहीं थी. 1 जनवरी, 2009 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों एवं खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

अम्बिकापुर में कालोनाईजरों एवं भू-स्वामियों द्वारा शहरी निर्धन व्यक्तियों हेतु आरक्षित भूमि का गबन

7. (*क्र. 346) **श्री अमरजीत भगत :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बिकापुर में वर्ष 2005 से 31-12-2008 तक किन-किन कालोनाईजरों द्वारा शहरी निर्धन व्यक्तियों (ई. डब्ल्यू. एस.) हेतु आरक्षित कितनी-कितनी भूमि शासन के पक्ष में स्थानांतरित की गई है ? (ख) क्या इन भूमियों को (ई. डब्ल्यू. एस.) हेतु आरक्षित करने के बाद इसका भुगतान संबंधित कालोनाईजरों को कर दिया गया है ? (ग) यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन कालोनाईजरों को किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† परिशिष्ट "तीन"   †† परिशिष्ट "चार"

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी नहीं, कोई भी भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है. दो कालोनाईजर श्री शिव अग्रवाल एवं श्री टी. एस. सिंहदेव के द्वारा भूमि हस्तांतरित करने हेतु नगर निगम को प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु निगम के पास राशि के अभाव में भूमि का आधिपत्य नहीं लिया जा सका है. दिनांक 26-03-2007 के पूर्व आरक्षित भूमि के बदले आश्रय शुल्क का प्रावधान होने के कारण तीन कालोनाईजर श्री सुधीर सिंह, श्री कृष्णानंद सिंह एवं श्री विष्णुप्रताप अग्रवाल के द्वारा भूमि के बदले आश्रय शुल्क जमा किया जा चुका है. (ख) जी नहीं. (ग) जी नहीं, भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि निकाय के पास राशि उपलब्ध नहीं है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान की मात्रा

8. (*क्र. 182) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कितनी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया ? केन्द्रवार जानकारी देवें ? (ख) कस्टम मिलिंग में देने के बाद इनमें कितनी कमी आई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मात्र बीजाभाठा को धान संग्रहण केन्द्र बनाया गया है. उक्त केन्द्र में वर्ष 2007-08 में 321354.24 क्विंटल तथा वर्ष 2008-09 में दिनांक 24-01-2009 तक 468615.29 क्विंटल धान का संग्रहण किया गया. (ख) वर्ष 2007-08 में कस्टम मिलिंग में धान देने के बाद 5712.35 क्विंटल धान की कमी आई तथा वर्तमान वर्ष 2008-09 में दिनांक 24-01-2009 तक संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलिंग हेतु धान प्रदाय नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना प्रदत्त राशन कार्ड की जानकारी

9. (*क्र. 498) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने लोगों को राशन कार्ड प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने लोगों को राशन कार्ड वितरण किया जाना शेष है ? शेष राशन कार्ड कब तक प्रदान किये जावेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कुल 34750 लोगों को राशन कार्ड प्रदान किये गये हैं. विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखंड का नाम	जारी किये गये राशन कार्डों की संख्या
बास्तानार	5593
दरभा	8382
तोकापाल	9675
लोहण्डीगुड़ा	11100

(ख) कोई राशन कार्ड वितरण हेतु शेष नहीं है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले के उद्योगों में ई. एस. पी. की जानकारी

10. (*क्र. 886) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कौन-कौन से स्पंज आयरन प्लांट ई. एस. पी. सहित एवं कौन-कौन से प्लांट ई. एस. पी. रहित कहां-कहां स्थापित हैं ? (ख) इनमें से किनके-किनके विरुद्ध प्रदूषण संबंधी अपराध के लिये गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही, कब-कब की गई है ? (ग) प्रश्नांश "ख" की अवधि में किन-किन प्लांटों की विद्युत सप्लाई प्रदूषण संबंधी कारणों से कब-कब काटी गई ? काटी गई विद्युत सप्लाई पुन: कब-कब जोड़ी गई ? उद्योगवार जानकारी देवें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) सभी स्पंज आयरन उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण यथा ई. एस. पी./बेग फिल्टर/स्क्रबर स्थापित हैं. विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. (ग) † संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार.

† परिशिष्ट "पांच"

कस्टम मिलिंग एवं लेव्ही जमा कार्य से प्रतिबंधित राईस मिल

11. (*क्र. 898) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2004 से 15-1-09 तक प्रदेश की कितनी राईस मिल को कस्टम मिलिंग एवं लेव्ही जमा कार्य से प्रतिबंधित किया गया है ? जिलेवार संख्या बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संख्या में से कितने मिलर्स को कस्टम मिलिंग एवं लेव्ही जमा कार्य के प्रतिबंध से मुक्त किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

शहरी निर्धन व्यक्तियों हेतु आश्रय शुल्क के स्थान पर शासन के पक्ष में भूमि का स्थानांतरण

12. (*क्र. 347) **श्री अमरजीत भगत :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि 5 एकड़ से बड़ी कालोनियों में शहरी निर्धन व्यक्तियों (ई. डब्ल्यू. एस.) हेतु आरक्षित भूमि हेतु आश्रय शुल्क के स्थान पर 15 प्रतिशत भूमि शासन के पक्ष में स्थानांतरित करने की अनिवार्यता है ? (ख) यदि हां, तो अम्बिकापुर में वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में किन-किन कालोनाईजरों द्वारा शहरी निर्धन व्यक्तियों (ई. डब्ल्यू. एस.) हेतु आरक्षित भूमि शासन के पक्ष में स्थानांतरित नहीं की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां, दिनांक 26-03-2007 से अनिवार्यता है. (ख) जी नहीं, क्योंकि 5 एकड़ से अधिक कालोनी विकसित करने की अनुमति दिनांक 26-03-2007 के पूर्व दी गई थी. प्रश्नाधीन अवधि में 5 कालोनाईजरों को कालोनी विकसित करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें तीन कालोनाईजर श्री सुधीर सिंह, श्री कृष्णानंद सिंह एवं श्री विष्णुप्रताप अग्रवाल के द्वारा आश्रय शुल्क जमा किया गया है. शेष दो श्री शिव अग्रवाल एवं श्री टी. एस. सिंहदेव से ई. डब्ल्यू. एस. हेतु आरक्षित भूमि का आधिपत्य नगर निगम के पास राशि के अभाव में नहीं ली जा सकी है.

बारदाना की आपूर्ति एवं मांग की जानकारी

13. (*क्र. 887) **श्री नन्दकुमार पटेल :** क्या खाद्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह नवम्बर, दिसम्बर, 2008 एवं जनवरी, 2009 में 29-01-2009 तक प्रदेश की सहकारी समितियों में कुल कितनी मात्रा में बारदाना की आपूर्ति धान खरीदी केन्द्रों को गई है ? जिलेवार बारदाना की मात्रा बतावें. (ख) क्या रायगढ़ जिले में बारदाना की आपूर्ति में कमी की वजह से माह जनवरी, 2009 में धान खरीदी बंद की गई थी ? यदि हां तो किन-किन केन्द्रों की कितने-कितने दिनों तक खरीदी बंद रही ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) रायगढ़ जिले में बारदाना की आपूर्ति मे कमी की वजह से माह जनवरी, 2009 में किसी भी केन्द्र में धान खरीदी बंद नहीं हुई है.

रायपुर जिले में समर्थन मूल्य में खरीदे गये धान का परिवहन दर

14. (*क्र. 899) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में 2005-06 में समर्थन मूल्य मे कितना धान खरीदा गया ? जिले में परिवहन दर क्या थी ? (ख) क्या 2005-06 में रायपुर जिले में समर्थन मूल्य में खरीदे गये सभी धान को निकासी होने के बाद निर्धारित गंतव्य तक (भंडारण केन्द्र) पहुंचाया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो कितना धान किस परिवहनकर्ता द्वारा नहीं पहुंचाया गया तथा उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2005-06 में रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 8,69,520 मेट्रिक टन धान खरीदा गया है. जिले में धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर परिशिष्ट पर ‡ संलग्न है. (ख) जी नहीं. जिले के धान के लेखों का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि 41 राईस मिलर्स द्वारा बिना रिलीज आर्डर के उपार्जन केन्द्रों से 8085.02 मेट्रिक टन धान का अनाधिकृत उठाव किया गया. (ग) बिना रिलीज आर्डर के धान का उठाव करने वाले 41 राईस मिलर्स में से 39 राईस मिलर्स से निर्धारित मात्रा में चावल जमा कराया जाकर समायोजन किया जा चुका है. शेष 02 राईस मिलर-गणेश ट्रेडर्स, तिल्दा एवं माँ अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, तिल्दा द्वारा चावल नहीं जमा किये जाने के कारण उनके विरूद्ध थाना नेवरा में एफ. आई. आर. दर्ज कराया गया है. साथ ही माँ अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, तिल्दा को छोड़कर शेष 40 राईस मिलर्स से 75.78 लाख रुपये अर्थदंड राशि अब तक वसूल की गई है.

....

† परिशिष्ट "छः" †† परिशिष्ट "सात" ‡ परिशिष्ट "आठ"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 988) के भाग (ग) की जानकारी]

वर्ष 2008-09 (दिनांक 31/01/2009 तक) की अवधि में प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्थित वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों के निरीक्षण बाबत् जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता
1	मे0 स्वास्तिक स्टील्स रावाभाटा के समीप, रायपुर	04.11.2008	डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
2	मे0 श्री मोहन प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड ग्राम बोरझरा रायपुर	17.12.2008	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
3	मे0 आर.बी. स्ट्रिप्स प्रा. लिमिटेड ग्राम सरोरा, उरला रायपुर	28.05.2008	डॉ0 सी.बी. पटेल, मुख्य रसायनज्ञ
4	मे0 गणपति इस्पात प्रा. लिमिटेड ग्राम सरोरा, रायपुर	21.01.2009	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
5	मे0 शिव रियल इस्पात प्रा. लिमिटेड रावांभाटा,. रायपुर	17.04.2008	डॉ0 सी.बी. पटेल, मुख्य रसायनज्ञ
6	मे0 हनुकृपा इस्पात प्रा. लिमिटेड उरला, रायपुर	08.05.2008	डॉ0 सी.बी. पटेल, मुख्य रसायनज्ञ
7	मे0 सिंध इस्पात रावांभाटा, रायपुर	16.01.2009	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
8	मे0 राधारानी स्टील्स प्रा. लिमिटेड ग्राम बेन्द्री, उरला रायपुर	19.01.2009	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
9	मे0 सपना स्टील उरला, ग्राम सरोरा रायपुर	12.05.2008	डॉ0 सी.बी. पटेल, मुख्य रसायनज्ञ
10	मे0 श्री श्याम रोलिंग मिल ग्राम-अछोली, भवानी मेटल्स प्रा. लिमिटेड के पास, रायपुर	20.12.2008	डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
11	मे0 शिवम् स्ट्रक्चर्स एंड स्टील रोलिंग मिल प्रा. लिमिटेड ग्राम-अछोली उरला-कन्हेरा रोड, रायपुर	10.07.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
12	मे0 नमन एलॉयज़ प्रा. लिमिटेड बीरगांव, रायपुर	29.08.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
13	मे0 बी.के. रोलिंग मिल प्रा. लिमिटेड सरोरा, रायपुर	04.05.2008 तथा 14.05.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
14	मे0 श्रीराम ऑयरन एंड स्टील्स प्रा. लिमिटेड उरला, रायपुर	24.04.2008 तथा 24.09.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
15	मे0 मूनलाईट एलॉयज प्रा. लिमिटेड बीरगांव, रायपुर	21.09.2008	डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
16	मे0 अलंकार एलॉयज़ प्रा. लिमिटेड बोरझरा, रायपुर	11.08.2008 17.10.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1

17	मे0 सर्वेश्वर एलॉयज़ प्रा. लिमिटेड बोरझरा, रायपुर	05.05.2008	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
18	मे0 धनीराम लेमिनेट्स प्रा. लिमिटेड रावांभाठा, रायपुर	26.11.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक
19	मे0 रियल इस्पात प्रा. लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	26.07.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक, श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		22.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		30.09.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
		20.10.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		27.11.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		06.12.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		27.12.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
20	मे0 श्री सीता इस्पात एंड पावर प्रा. लिमिटेड ग्राम बोरझरा, गुमा–उरला रोड, रायपुर	30.05.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		22.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		22.09.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
21	मे0 शिल्फी स्टील प्रा. लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	25.06.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		22.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		22.09.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		28.01.2009	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक
22	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	25.04.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
		18.06.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
		23.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ0 एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		06.12.2008	डॉ0 अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1

		20.12.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
23	मे० ग्रेविटी ट्रेविज़्म प्रा. लिमिटेड ग्राम अछोली, रायपुर	25.06.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		25.07.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		22.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ० एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		27.11.2008	डॉ० अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
24	मे० सत्यार्थ स्टील प्रा. लिमिटेड बोरझरा, रायपुर	23.04.2008	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
		25.06.2008	श्री एस.के. गजेन्द्र, प्रभारी रसायनज्ञ
		22.08.2008	श्री ए.एस. राठौर, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालन अभियंता, डॉ० एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ तथा श्री संतोष भगत, प्रबंधक
		04.11.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक, श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		06.12.2008	डॉ० अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक
		20.12.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
		25.01.2009	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० एस.के. उपाध्याय, मुख्य रसायनज्ञ
25	मे० हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (यूनिट–2) (पूर्व नाम – मे० जैन कॉर्बाइड एंड केमिकल्स लिमिटेड, यूनिट–2) उरला, रायपुर	28.04.2008	श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		23.06.2008	डॉ० अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		24.06.2008	डॉ० अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
		25.06.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
		01.01.2009	डॉ० अनिता यादव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी.बी. ध्रुव, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–1
26	मे० आलोक फेरोएलॉयज़ लिमिटेड उरला, रायपुर	28.11.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक
27	मे० हीरा फेरोएलॉयज़ लिमिटेड (यूनिट–2) उरला, रायपुर	25.06.2008	श्री अनूप बेहरे, क्षेत्रीय अधिकारी
		11.09.2008	श्री पी.के. रबड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 302) के भाग (ख) की जानकारी]

सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग द्वारा वस्त्र खरीदी की जानकारी

क्रमांक	विभाग का नाम	वर्ष 07–08 की मांग राशि	वर्ष 08–09 की मांग राशि
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	105694.00	125133.00
2.	स्कूल शिक्षा विभाग	8,67,94,197.30	14,58,72,068.96
3.	गृह विभाग	14087014.00	29081168.00

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 969) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सक्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित डोलोमाइट खदानों एवं क्रेसरों की सूची, जिन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्मति जारी की गई है।

क्र.	सक्ती विधानसभा क्षेत्र में स्थापित क्रशर उद्योगों का नाम एवं पता	जारी सम्मति दिनांक
01.	मेसर्स अम्बिका स्टोन क्रशर, कांदानारा, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	30/01/2001
02.	मेसर्स पवन क्रशर उद्योग, बुढ़नपुर, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	13/01/2003
03.	मेसर्स सिंह क्रशर उद्योग, डूमरपारा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	14/12/2000
04.	मेसर्स बिलासपुर माईनिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, (क्रशर उद्योग), ग्राम–जेठा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	29/11/2000
05.	मेसर्स एस.जे. मिनरल्स क्रशर उद्योग, बैलाचुआ, जिला–जांजगीर–चांपा	10/01/2005
06.	मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बस्ती बाराद्वार, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	25/01/2007
07.	मेसर्स बालाजी माईनिंग (क्रशर), सकरेली, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	11/06/2003
08.	मेसर्स अग्रवाल मेटल्स, धनेलीभाठा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	13/10/2005
09.	मेसर्स जे.एम. स्टोन क्रशर, ग्राम–हरेठी, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	10/11/2004
10.	मेसर्स जितेन्द्र गबेल स्टोन क्रशर, ग्राम–जगदल्ली, बैलाचुआ, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	08/04/2004
11.	मेसर्स बालाजी मेटल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–डूमरपारा, जिला–जांजगीर–चांपा	19/04/2006
12.	मेसर्स के.आर.पी. क्रशर इण्डस्ट्रीज, नयापारा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	03/03/2007
13.	मेसर्स डोलोमाईट माईनिंग कार्पोरेशन, नेहरू चौक बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	15/04/2008
14.	मेसर्स महेश कुमार अग्रवाल स्टोन क्रशर, ग्राम–रायपुरा, ब्लॉक–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा	08/05/2001
15.	मेसर्स जिंदल मेटल उद्योग, ग्राम–सकरेली, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	01/10/2004

प्रपत्र ''ब''

वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 के दौरान खदानों अथवा क्रेसरों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर ने) द्वारा की गई जांच की तिथि एवं की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी।

क्र.	उद्योगों का नाम एवं पता	निरीक्षण तिथि	निरीक्षण दिवस उद्योग में पाई गई स्थिति	मंडल द्वारा की गई कार्यवाही
01.	मेसर्स अम्बिका स्टोन क्रशर, कांदानारा, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	07/02/2009	उद्योग बंद हो चुका है।	कार्यवाही नहीं की गई।
02.	मेसर्स पवन क्रशर उद्योग, बुढ़नपुर, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	07/02/2009	उद्योग बंद हो चुका है।	कार्यवाही नहीं की गई।
03.	मेसर्स सिंह क्रशर उद्योग, डूमरपारा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	29/11/2007	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		24/12/2008	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
04.	मेसर्स बिलासपुर माईनिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, (क्रशर उद्योग), ग्राम–जेठा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	05/08/2008	शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण किया गया। उद्योग बंद पाया गया। उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तों का पालन नही किया जाना बताया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् दिनांक 23/08/2008 को नोटिस जारी किया गया।
		29/09/2008	उद्योग उत्पादनरत् नही पाया गया।	कार्यवाही नहीं की गई।
		07/02/2009	उद्योग उत्पादनरत् नहीं पाया गया।	कार्यवाही नहीं की गई।
05.	मेसर्स एस.जे. मिनरल्स् क्रशर उद्योग, बैलाचुआ, जिला–जांजगीर–चांपा	08/08/2007	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तो का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 09/08/2007 को वायु सम्मति शर्तो के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

		23/01/2008	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तो का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 30/01/2008 को वायु सम्मति शर्तो के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
		05/08/2008	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तो का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 06/08/2008 को वायु सम्मति शर्तो के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
06.	मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बस्ती बाराद्वार, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	31/07/2007	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तो का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 02/08/2007 को वायु सम्मति शर्तो के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
		21/09/2007	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		03/11/2007	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		29/11/2007	जल छिड़काव का संचालन नहीं पाया गया। पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवॉल नहीं पाई गई।	मंडल द्वारा सुधार बाबत् दिनांक 03/12/2007 को निर्देशित किया गया।
		29/02/2008	जल छिड़काव का संचालन नही पाया गया। पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवॉल नहीं पाई गई।	मंडल द्वारा सुधार बाबत् दिनांक 13/03/2008 को निर्देशित किया गया।
		01/04/2008	जल छिड़काव का संचालन नहीं पाया गया। पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवॉल नहीं पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् दिनांक 03/04/2008 को नोटिस जारी किया गया।

		05/08/2008	जल छिड़काव का संचालन नहीं पाया गया। पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवॉल नहीं पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् दिनांक 14/08/2008 को नोटिस जारी किया गया।
		08/10/2008	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
07.	मेसर्स बालाजी माईनिंग (क्रशर), सकरेली, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
08.	मेसर्स अग्रवाल मेटल्स, धनेलीभाठा, बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	23/01/2008	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
09.	मेसर्स जे.एम. स्टोन क्रशर, ग्राम–हरेठी, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	23/01/2008	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
10.	मेसर्स जितेन्द्र गबेल स्टोन क्रशर, ग्राम–जगदल्ली, बैलाचुआ, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	08/08/2007	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 09/08/2007 को वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
		04/08/2008	उद्योग द्वारा वायु सम्मति शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	मंडल द्वारा दिनांक 06/08/2008 को वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
11.	मेसर्स डोलोमाईट माईनिंग कार्पोरेशन, नेहरू चौक बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा	21/08/2007	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		12/03/2008	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
		07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।

12.	मेसर्स महेश कुमार अग्रवाल स्टोन क्रशर, ग्राम–रायपुरा, ब्लॉक–जैजेपुर, जिला–जांजगीर–चांपा	07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।
13.	मेसर्स जिंदल मेटल उद्योग, ग्राम–सकरेली, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा	07/02/2009	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट ''चार''

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 826) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	01 जनवरी, 2004 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिमाह चावल प्राप्त करने वाले कार्डधारियों की संख्या	01 जनवरी, 2009 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिमाह चावल प्राप्त करने वाले कार्डधारियों की संख्या	01 जनवरी, 2009 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह चावल प्राप्त करने वाले कार्डधारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	53635	81695	453755
2.	धमतरी	9590	17543	83017
3.	महासमुन्द	21206	31365	142443
4.	बिलासपुर	52520	77821	328751
5.	जांजगीर	26630	39208	194604
6.	कोरबा	12507	28282	140526
7.	दुर्ग	60450	79916	385318
8.	राजनांदगांव	19898	33805	163867
9.	कवर्धा	12912	24711	100177
10.	रायगढ़	34185	52137	167055
11.	जशपुर	12200	27619	78824
12.	सरगुजा	47844	85932	297288
13.	कोरिया	9155	20008	72925
14.	बस्तर	30608	61227	197282
15.	कांकेर	10680	21222	87409
16.	दंतेवाड़ा	17280	36409	96498
	योग	**431300**	**718900**	**2989739**

परिशिष्ट ''पांच''

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 886) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र ''अ''

रायगढ़ स्थित स्पंज ऑयरन उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जानकारी।

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	किल्न में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपकरण
1	मे. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लि., पतरापाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
2	मे. नलवा स्पंज ऑयरन लि., तराईमाल, रायगढ़	ई. एस. पी.
3	मे. इण्ड सिनर्जी लि., कोटमार, रायगढ़	ई. एस. पी.
4	मे. एम. एस. पी. स्टील एण्ड पॉवर लि., जामगांव, रायगढ़	ई. एस. पी.
5	मे. सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लि., गेरवानी, रायगढ़	ई. एस. पी.
6	मे. अंजनी स्टील प्रा. लि., उज्जवलपुर, रायगढ़	ई. एस. पी.
7	मे. सिंघल इंटरप्राईजेज लि., तराईमाल, रायगढ़	ई. एस. पी. तथा वेन्चुरी स्कबर
8	मे. बी. एस. स्पंज प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़	ई. एस. पी.
9	मे. शिवशक्ति स्टील प्रा. लि., चकधरपुर, रायगढ़	ई. एस. पी.
10	मे. माँ शाकम्बरी स्टील प्रा. लि., सम्बलपुरी, रायगढ़	ई. एस. पी.
11	मे. स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर लि, पूंजीपथरा, रायगढ़	ई. एस. पी.
12	मे. नवदुर्गा फयूल्स प्रा. लि., सराईपाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
13	मे. श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़	ई. एस. पी.
14	मे. रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लि. देलारी, रायगढ़	ई. एस. पी.
15	मे. श्री अम्बिका इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि., ग्राम तराईमाल, रायगढ़	ई. एस. पी.
16	मे. रायगढ़ ऑयरन इण्डस्ट्रीज लि., पूंजीपथरा, रायगढ़	ई. एस. पी.
17	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., ग्राम नहरपाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
18	मे. माँ मंगला इस्पात प्रा. लिमिटेड, ग्राम नटवरपुर, रायगढ़	ई. एस. पी.
19	मे. माँ काली एलायज प्रा. लि., ग्राम पाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
20	मे. रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर लि., ग्राम बड़ेगुमड़ा, रायगढ़	ई. एस. पी.
21	मे. सुनील स्पंज एण्ड पॉवर लि., ग्राम – चिरईपाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
22	मे. मेको स्टील एण्ड पॉवर लि., ग्राम – सराईपाली, रायगढ़	ई. एस. पी.
23	मे. सेलेनो स्टील प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़	बेग फिल्टर तथा स्कबर

प्रपत्र "ब"

विगत तीन वर्षों (01/01/2006 से 31/01/2009 तक) में प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर स्पंज आयरन उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

क्र.	उद्योग का नाम	की गई कार्यवाही
01.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., ग्राम नहरपाली, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 07/04/2007 को वाद दायर किया गया।
02.	मे. सलनो स्टील प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 25/09/2007 को वाद दायर किया गया।
03.	मे. माँ शाकम्बरी स्टील प्रा. लि., सम्बलपुरी, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 28/05/2007 को वाद दायर किया गया।
04.	मे. श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 28/05/2007 को वाद दायर किया गया।
05.	मे. शिवशक्ति स्टील प्रा. लि., चक्रधरपुर, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 28/05/2007 को वाद दायर किया गया।
06.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., ग्राम नहरपाली, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 20/07/2007 को वाद दायर किया गया।
07.	मे. माँ मंगला इस्पात प्रा. लिमिटेड, ग्राम नटवरपुर, रायगढ़	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् माननीय न्यायालय में दिनांक 28/05/2007 को वाद दायर किया गया।
08.	मे. इण्ड सिनर्जी लि., कोटमार, रायगढ़	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विच्छेदन बाबत् निर्देश दिनांक 16/04/2008 को जारी किया गया।
09.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., ग्राम नहरपाली, रायगढ़	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को किल्न क्र. 3 एवं 4 से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विच्छेदन बाबत् निर्देश दिनांक 12/12/2008 को जारी किया गया।

प्रपत्र "स"

विगत तीन वर्षों (01/01/2006 से 31/01/2009 तक) में स्पंज आयरन प्लांटों के विद्युत विच्छेदन एवं पुनः विद्युत प्रदाय बहाल करने के संबंध में जानकारी।

क्र.	उद्योग का नाम	विद्युत विच्छेदन तिथि	विद्युत प्रदाय बहाल तिथि
01.	मे. इण्ड सिनर्जी लि., कोटमार, रायगढ़	दिनांक 17/04/2008	दिनांक 04/05/2008 (किल्न क्र. 1) दिनांक 26/05/2008 (किल्न क्र. 2 एवं 3)
02.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., ग्राम नहरपाली, रायगढ़	दिनांक 15/12/2008 (किल्न क्र. 3 एवं 4)	दिनांक 15/01/2009 (किल्न क्र. 3) दिनांक 03/02/2009 (किल्न क्र. 4)

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 898) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	प्रतिबंधित राईस मिलों की संख्या (3)	प्रतिबंध से मुक्त राईस मिलों की संख्या (4)
1.	जशपुर	01	0
2.	बस्तर	0	0
3.	कबीरधाम	0	0
4.	कोरिया	0	0
5.	दंतेवाड़ा	01	0
6.	राजनांदगांव	0	0
7.	अंबिकापुर	20	02
8.	महासमुंद	0	0
9.	दुर्ग	10	0
10.	रायगढ़	03	01
11.	कांकेर	0	0
12.	जांजगीर	02	0
13.	धमतरी	01	01
14.	रायपुर	12	04
15.	कोरबा	10	10
16.	बिलासपुर	07	0
	योग	67	18

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 887) के भाग (क) की जानकारी]

(बारदाना की संख्या नग में)

क्र.	जिला का नाम	माह नवम्बर, 08	माह दिसम्बर, 08	29-01-09 तक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	7177658	7595405	5267761	20040824
2.	महासमुंद	3316500	1918950	1236575	6472025
3.	धमतरी	2778000	2645500	1542500	6966000
4.	दुर्ग	5609000	4077500	3871500	13558000
5.	राजनांदगांव	1861183	840726	1560854	4262763
6.	कवर्धा	454500	448000	949000	1851500
7.	बिलासपुर	2368400	1642530	3717550	7728480
8.	कोरबा	415592	74350	508900	998842
9.	जांजगीर	2233000	2536400	7245855	12015255
10.	रायगढ़	2499000	2933000	2026500	7458500
11.	जशपुरनगर	105900	181400	188485	475785
12.	अम्बिकापुर	2470543	44000	567457	3082000
13.	कोरिया	269050	16000	239100	524150
14.	कांकेर	1015274	378250	393626	1787150
15.	जगदलपुर	627500	265500	347500	1240500
16.	दंतेवाड़ा	94350	112000	117375	323725

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 899) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	संग्रहण केन्द्र का नाम	(लोकल 0–8 किलोमीटर दूरी) दर प्रति 10 टन लोडिंग/अनलोडिंग सहित	रूपए प्रति किलोमीटर प्रतिटन लोडिंग/अनलोडिंग सहित								
			0–15 किमी.	0–25 किमी.	0–50 किमी.	0–75 किमी.	0–100 किमी.	0–200 किमी.	0–300 किमी.	0–400 किमी.	0–400 किमी. से अधिक
1	कसडोल/भटगांव	640.00	6.25	5.03	4.03	3.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2	भाटापारा/बलौदा बाजार	640.00	5.96	4.86	3.79	2.82	2.29	1.50	0.10	0.10	0.10
3	जाँदा	696.00	6.18	4.88	3.70	2.60	1.90	2.08	1.67	0.73	0.51
4	रायपुर	738.00	6.60	5.25	3.25	2.39	2.08	1.65	1.45	0.77	0.58
5	धरसींवा/सिलतरा, सिमगा	738.00	6.60	5.25	4.26	3.15	2.63	2.05	1.67	0.74	0.65
6	आरंग	738.00	6.60	5.25	4.26	2.78	2.58	1.60	1.56	0.77	0.58
7	गरियाबंद	738.00	6.60	5.25	3.40	2.79	2.62	1.79	1.60	0.81	0.69
8	पलारी	704.00	6.58	5.37	4.09	3.15	2.59	2.20	1.39	0.70	0.69
9	अभनपुर	738.00	6.50	4.95	3.75	2.70	2.20	1.80	1.67	0.70	0.50
10	राजिम/पटेवा	738.00	6.60	5.25	3.73	2.69	2.20	1.78	1.67	0.72	0.51
11	मंदिर हसौद	738.00	6.60	5.25	3.40	2.80	2.62	1.80	1.60	0.81	0.69
12	खरोरा/तिल्दा	640.00	6.09	4.89	3.95	2.99	2.31	1.61	1.26	0.63	0.63